न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 66/2019

जी.सी.एम.एस. : 2019/00211

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. श्री सीमेन्ट लिमिटेड ब्यावर(जरिये अतिरिक्त महाप्रबधंक भूमि अधिग्रहण) श्री सीमेन्ट ब्यावर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि संजय भंडारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी जाति जैन निवासी श्री सीमेन्ट ब्यावर, ग्राम अंधेरी देवरी, मसूदा (ब्यावर)		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली(राज.) 2. तेजसिंह पुत्र श्री मालसिंह, जाति मेहरात, निवासी भीमगढ,तहसील जैतारण, जिला पाली 3. श्रीमति कमला पत्नी श्री रतनाजी, जाति मेहरात निवासी खीमपुरा तहसील मसुदार, जिला अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 एव 3 की ओर से श्री सदाम काजी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27-7-2023

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर द्वारा ग्राम बुटीवास के नामान्तरकरण संख्या 2014 दिनांक 02.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बुटीवास के खसरा नम्बर 444/12 बारानी अव्वल की भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज नही है इसके विरूद्व धारा 89 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली में पेश किया गया जो दर्ज होकर मुकदमा नम्बर 08/2013 कायम हुआ, उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 03.05.2017 को कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा माईनिग लीज दर्ज करने का आदेश पारित किया गया इसकी पालना में म्युटेशन संख्या 2014 अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 26.08.2019 को भरा गया तथा दिनांक 02.09.2019 को उक्त म्युटेशन अस्वीकृत कर दिया गया। चुंकि म्युटेशन संख्या 2014 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश पर भरा गया है। जिसे अस्वीकार करने का एंव पुर्व कि स्थिति बहाल करने का अधिकारी तहसीलदार को नही है। नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पुर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

नोटिस जवाब एवं का सुनवाई का अवसार नही दिया गया है व्यक्तिशः रिव्यु स्वयं के म्युटेशन के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा नजरसानी की गई है उक्त नजरसानी करने का अधिकार तहसीलदार के क्षैत्राधिकार में नही है, इसलिए तहसीलदार रायपुर का नामान्तरकरण संख्या 2014 में दिनांक 02.09.2019 का आदेश निरस्त योग्य है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 08/2013 बअनवान श्री सीमेन्ट लि. बनाम तेजसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 की पालना में अपीलाण्ट द्वारा मुआवजे की राशि का चैक अप्रार्थी संया 02 व 03 के लिये दिनांक 02.06.2017 को तहसीलदार रायपुर के यहां जमा करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 29.07.2019 को तेजसिंह के नाम का चैक संख्या 951945 दिनांक 27.07.2019 रूपये 05 लाख 92800/— व कमलादेवी के नाम का चैक संख्या 951946 दिनांक 27.07.2019 रूपये 05 लाख 92800/— मुआवजे की राशि का चैक अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय द्वारा में जमा करवा दिये गये व तत्पश्चात तहसील कार्यालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 को नोटिस जारी किया गया जब अपीलाण्ट द्वारा अपने जिम्मे का तमाम सरायत पूर्ण कर दी गई तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 09.08.2019 को तहसील भेजकर म्युटेशन स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया गया था। दिनांक 29.07.2019 को तहसील कार्यालय रायपुर में चैक जमा हो गये व इसके पुर्व भी चैक जमा करवाये गये जो नही उठाये गये म्युटेशन अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश की पालना मे नियमानुसार स्वीकृत हुआ है। जिसे निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। श्रीमान के न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2017 को पारित निर्णय में विरूद्व रेस्पोडेण्ट को जानकारी के 30 माह व्यतित हो जाने के उपरान्त एवार्ड के खिलाफ किसी प्रकार की अपील पेश नही की गई है। तहसीलदार द्वारा म्युटेशन स्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन बाद में "स्वीकृत है" के पास कब्जे की जाचं करें लिखा हुआ है साफ स्पष्ट है कि वह बाद में लिखा हुआ है एक अलग पेन से लिखा हुआ है क्योंकि "स्वीकृत है" एवं "कब्जे की जांच करें" में स्याही अलग–अलग दृष्टि गोचर हो रही है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तहसीलदार की मिलीभगत से यह काम हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के आदेश में तहसीलदार को कब्जे की जांच के किसी प्रकार के आदेश नही दिये गये थे। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 3 की भूमि को सबडियरीप्रपज के लिए अपीलाण्ट को भूमि देने का आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा जारी किया गया था एवं मुआवजा राशि रेस्पोडेण्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा इस आदेश के विरूद्व कोई अपील सक्षम न्यायालय में नही हुई थी। प्रार्थी कम्पनी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के आदेश की पालना में जारी मुआवजा राशि का चैक तहसील में जमा करवा दिया था अगर रेस्पोडेण्टगण द्वारा मुआवजा राशि नही ली तो तहसीलदार को जमा चैक के साथ तहरीर बना कर अथवा रेफरेन्स बनाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के यहां भिजवाया जाना था। जिससे की विधि अनुसार रेफरेन्स स्वीकार होकर सक्षम सिविल न्यायालय में भेजा जाता, उसके बाद ही विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती थी। लेकिन तहसीलदार रायपुर ने ऐसा न कर दिनांक 02.09.2019 को नामान्तरकरण संख्या 2014 अस्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानुन की पालना के बिना नियमों की अनदेखी कर प्रक्रिया का दुरूपयोग कर

अति. जिला कलक्टर, पाली

दिनांक 02.09.2019 को अवैध रूप से विधि विरूद्ध स्वीकृत म्युटेशन को खारिज किया गया है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 02.09.2019 को नामान्तरकरण संख्या 2014 खारित किया गया है इस आदेश को निरस्त फरमाया जाकर म्युटेशन संख्या 2014 बहाल रखा जाकर अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोडेण्टगण संख्या 02 व 03 द्वारा अपने लिखित जवाब में निवेदन किया कि मौके पर अपीलाण्ट कम्पनी द्वारा अपना कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा संबधित प्रकरण में पारित निर्णय की पालना अनुसार मुआवजा राशि हमे प्राप्त हो गई है। इसलिए अपीलाण्ट कम्पनी के नाम हम रेस्पोडेण्टगण की कृषि भूमि निर्णय की पालना में बिलानाम माईनिंग लीज श्री सीमेन्ट लि. दर्ज कर म्युटेशन स्वीकृत किया जाता है तो हम रेस्पोडेण्टगण को किसी प्रकार की आपत्ती नही है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तहसीलदार रायपुर ने अपने लिखित जवाब पत्रांक भू.अ./कोर्ट/22/115 दिनांक 11.01.2022 न्यायालय में प्रेषित कर निवेदन किया कि पटवार हल्का बुटीवास के ग्राम बुटीवास के संबध में अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के प्रकरण संख्या 08/2013 में पारित निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2014 भरा गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक गिरी की जाचं के पश्चात तत्कालिन तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.08.2019 को स्वीकार कर कब्जे की जांच हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया। दिनांक 02.09.2019 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर कब्जा वादी का नही होने की रिपोर्ट की गई जिस पर तत्कालिन तहसीलदार ने नामान्तरकरण का पुर्नविलोकन कर नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया। वर्तमान में खातेदारों द्वारा उक्त आराजी कृषि भूमि श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर को सुपुर्द कर मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है। अतः ग्राम बुटीवास के खसरा नम्बर 444/12 की भूमि बिलानाम माईनिंग लीज श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर दर्ज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। अपील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम बुटीवास के खसरा नम्बर 444/12 के संबध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,पाली के प्रकरण संख्या 08/2013 बअनवान श्री सीमेन्ट लि. बनाम तेजसिंह अन्तर्गत धारा राज भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 में दिनांक 03.05.2017 को पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार को निर्देशित किया गया था कि उक्त आराजी के संबध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबध में संन्तुष्टि के उपरान्त सम्बधित राशि का भुगतान कर प्रमाणित करे, एवं राजस्व रेकर्ड में भुमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अंकित की जावें। जिसकी पालना में तहसीलदार रापपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2014 दिनांक 26.08.2019 भरा गया लेकिन आरएलआर की धारा 86(2) व नियम 123 आरएलआर के प्रावधान के अन्तर्गत कब्जे की सन्तुष्टि अपुर्ण होने के कारण पुनरावलोकन किया कब्जावादीगण का ही है जिराने मुआवजा का चैक नही लिया जिसके आधारा पर नामान्तरकरण संख्या 2014 दिनांक 26.08.2019 दिनांक 02.09.2019 को खारिज कर दिया गया। चुकिं पत्रावली में संलग्न मूल नामान्तरकरण का अवलोकन करने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर पाया की नामान्तरकरण में दिनांक 26.08.2019 को स्वीकृत कर दिया गया था लेकिन बाद में उसी स्वीकृत है कि आगे कब्जे की जांच करें लिखा गया है जो स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि अलग–अलग समय एवं अलग अलग पेन स्याही का उपयोग किया गया है बाद कब्जे की जांच के आदेश देने के उपरांत पटवाही हल्का एवं आर आई की रिपोर्ट के अनुसार जैर आराजी पर वादी का ही कब्जा होने से जैर नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया वर्तमान में जैर आराजी का कब्जा खातेदारो ने अपीलाण्ट को सुपुर्द कर मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है। जिसके संबध में रेस्पोडेण्टगण एवं तहसीलदार रायपुर ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि जैर अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है, उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रायपुर द्वारा जारी म्यूटेशन संख्या 2014 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति एवं मूल रेकर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को माफिक निर्णय पालनार्थ भिजवायी जावें।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली